न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 93/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा एवं पूनावाला हाउसिंग लि. के नाम से ज्ञात) जरिये प्राधिकृत अधिकारी **तरूण शर्मा**

पंजीकृत कार्यालयः– 602, 6th फ्लोर, जीरो वन, आईटी पार्क, सर्वे नम्बर–79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे–411036

शाखा कार्यालयः– आठवां तल, आई.बी.सी. टॉवर, मालवीया मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मुकेश सैनी**
   पताः– प्लॉट खसरा नम्बर– 1699/507, मालियों की ढाणी, पटवार हल्का हर्ष, सीकर, राजस्थान–332021
   अन्य पता– वार्ड नम्बर– 26, मटका वाली ढाणी, नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान–333042
2. **संतरा सैनी,** वार्ड नम्बर– 13, मालियों की ढाणी, पटवार हल्का हर्ष, सीकर, राजस्थान–332021

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 17 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **मुकेश सैनी** एवं **संतरा सैनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

में अप्रार्थी **मुकेश सैनी** के स्वामित्व की आवासीय अचल सम्पति **प्लॉट खसरा नम्बर 1699/507, मालियों की ढाणी, पटवार हल्का हर्ष, सीकर, राजस्थान 332021** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज है।** जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में स्वयं की जमीन, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में स्वयं की जमीन स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹कुल 6,30,000/– (अक्षरे रूपये छः लाख तीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.01.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **07.01.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **मुकेश सैनी** एवं **संतरा सैनी** की ओर से

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मुकेश सैनी** के स्वामित्व की आवासीय अचल सम्पति **प्लॉट खसरा नम्बर 1699/507, मालियों की ढाणी, पटवार हल्का हर्ष, सीकर, राजस्थान 332021** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज है।** जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में स्वयं की जमीन, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में स्वयं की जमीन स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **17 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर